

प्ररूप-ड.

(नियम 7(2) देखिये)

अनुमति

क्रमांक / 1956 / अ.अ. / वा-1 / 2025
प्रति,

गरियाबंद दिनांक 14.07.2025

रक्षित निरीक्षक,
जिला-गरियाबंद(छ0ग0)

विषय :- प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति।

— 000 —

विषयांतर्गत दिनांक 01.07.2025 को वन परिक्षेत्र अधिकारी को दिये गये आवेदन एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी गरियाबंद(सा) वनमण्डल गरियाबंद का प्रतिवेदन दिनांक 07.07.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। वन विभाग का निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 09.07.2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:-

सहायक परिक्षेत्र अधिकारी गरियाबंद द्वारा गौका स्थल पर 01 नग सेमर प्रजाति का सूखा वृक्ष खड़ा है जिसकी गोलाई 330 से.मी. है उक्त वृक्ष पूरी तरह सूख चुका है एवं वर्षाकाल के दौरान आंधी तूफान आदि से अकस्मात कभी भी गिर सकता है। उक्त 01 नग सेमर वृक्ष का कटाई कार्य कराया जाना अत्यंत आवश्यक है।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नक्सल) गरियाबंद निवास परिसर के अंदर स्थित वृक्ष जिनकी संख्या 01 (सेमर) को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
गरियाबंद
गरियाबंद दिनांक 14.07.2025

पृ.क्रमांक / 1956 / अ.अ. / वा-1 / 2025
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय गरियाबंद को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल गरियाबंद को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(नक्सल) गरियाबंद को सूचनार्थ।
4. तहसीलदार गरियाबंद को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।



अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
गरियाबंद